4699

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी
आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, दिल्ली
नासिन कॉम्प्लेक्स, सैक्टर – 29, फ़रीदाबाद, हरियाणा – 121008.
NATIONAL ACADEMY OF CUSTOMS, INDIRECT TAXES AND NARCOTICS
ZONAL TRAINING INSTITUTE, DELHI
NACIN COMPLEX, SECTOR – 29, FARIDABAD, HARYANA – 121008.

# परीक्षा सूचना

**वर्ष 2025-26 के लिए सीमा शुल्क एवं केंद्रीय कर विभाग में निम्न श्रेणी लिपिक (एलडीसी) / हेड हवलदार को कर सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा।**

1. वर्ष 2025-26 के लिए सीमा शुल्क एवं केंद्रीय कर विभाग में निम्न श्रेणी लिपिक (एलडीसी)/हेड हवलदार को कर सहायकों के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा **23 मई 2025 (शुक्रवार)** को आयोजित की जायेगी।

2. जीएसआर 773 (अ.) दिनांक 18.12.2024 द्वारा अधिसूचित, विभागीय परीक्षा (केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं नारकोटिक्स) नियमावली, 2024 (डीईआर-2024) के अनुसार परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्नपत्र निहित होंगे:

| क्र. सं. | पेपर | विषय | अधिकतम अंक | उत्तीर्ण अंक | परीक्षा की तिथि एवं समय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पेपर-I | कंप्यूटर प्रवीणता पर सैद्धांतिक जांच | 50 | 25 | 23.05.2025 (**पूर्वाह्न** 11:00 से अपराह्न 12:00 **तक**)<br>अनुमत समय: (1 घंटा) |
| 2 | पेपर-II | कंप्यूटर प्रवीणता पर व्यावहारिक जांच | 50 | 25 | 23.05.2025 (**अपराह्न** 14:00 बजे से **अपराह्न** 14:30 तक)<br>अनुमत समय: (30 मिनट) |
| 3 | पेपर-III | कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की गति या हिन्दी में 30 शब्द | अर्हक | अर्हक | पेपर III अर्थात् टंकण गति के बारे में संबंधित सीसीए द्वारा सूचित किया जायेगा। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रति मिनट गति की टंकण जांच | | | |

3. प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगा। अभ्यर्थियों के पास उत्तर अंग्रेजी या हिंदी में लिखने का विकल्प होगा। सभी केंद्रों पर परीक्षा पूर्वाह्न 11:00 बजे शुरू होगी। संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण (सीसीए) को नवीनतम भर्ती नियमों तथा समय-समय पर जारी संशोधनों के आधार पर उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा।

4. कर सहायकों के पद के लिए नवीनतम भर्ती नियमों के अनुसार [अर्थात् वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, निदेशालयों, कर सहायक, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2022 दिनांक 14.07.2022 और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, कर सहायक (समूह ग पद) भर्ती नियम, 2022 दिनांक 20.10.2022], उम्मीदवारों के पास निम्नलिखित योग्यताएं व अनुभव होना चाहिए:

- डेटा एंट्री कार्य के लिए डेटा एंट्री स्पीड प्रति घंटे 8000 की-डिप्रेशन से कम नहीं; और
- तीन सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने के बाद आयोजित होने वाली विभागीय योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

5. डेटा एंट्री स्पीड और तीन सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद विभागीय योग्यता परीक्षा के सफल समापन से संबंधित उपर्युक्त पात्रता शर्तों को संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों (सीसीए) द्वारा सत्यापित एवं प्रमाणित किया जाएगा। नासिन, जेडटीआई दिल्ली (फरीदाबाद) केवल परीक्षा के संचालन के लिए जिम्मेदार होगा, और पात्रता या योग्यता से संबंधित कोई भी प्रश्न/स्पष्टीकरण किसी भी परिस्थिति में नासिन द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6. संबंधित आयुक्तालय/निदेशालय, जहां परीक्षा आयोजित की जानी है, एक अधिकारी (एडीसी/जेसी/डीसी/एसी या समकक्ष रैंक का अधिकारी) नामित किया जायेगा, जो उक्त परीक्षा के संचालन के लिए समग्र प्रभारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा। प्रश्न पत्रों के लिए अनुरोध, अनुलग्नक-क के अनुसार, प्राधिकृत अधिकारियों के नाम, सरकारी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि के साथ सहायक निदेशक या अतिरिक्त सहायक निदेशक (परीक्षा), नासिन, जेडटीआई दिल्ली, फरीदाबाद को ईमेल exam-nacinztidelhi@gov.in के माध्यम से 13.05.2025 तक अवश्य पहुंच जाना चाहिए। इस अवधि के बाद प्रश्नपत्रों की किसी भी मांग पर विचार नहीं किया जाएगा। उक्त परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र, पासवर्ड-संरक्षित पीडीएफ प्रारूप में, 21.05.2025 को केवल ई-मेल के माध्यम से नामित प्राधिकृत अधिकारी को भेजा जाएगा, जो रिटर्न ईमेल द्वारा नासिन, जेडटीआई दिल्ली, फरीदाबाद को इसकी प्राप्ति की सूचना देगा।

7. **पीडीएफ फाइल खोलने के लिए पासवर्ड 23.05.2025 को परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले दिया जाएगा।** प्राधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाए। प्रश्नपत्रों के लिए अनुरोध ई-मेल आईडी: exam-nacinztidelhi@gov.in पर भेजा जा सकता है।

8. आयुक्तालयों/निदेशालयों से ऐसी मांगें केवल उनके संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण (सीसीए) के माध्यम से नासिन, जेडटीआई दिल्ली, फरीदाबाद को भेजी जाएंगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों की जानकारी परीक्षा पूरी होने के बाद केवल सीसीए को ही बताए जाएंगे।

9. सभी मुख्य आयुक्त कार्यालयों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार के सभी आयुक्तालयों/सीमा शुल्क हाऊस में इस अधिसूचना को प्रसारित करें। इस संबंध में नासिन, जेडटीआई दिल्ली, फरीदाबाद किसी भी आयुक्तालय

से व्यक्तिगत रूप से सूचना प्रदान नहीं करेगा।

10. संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण, प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं संपर्क आदि के बारे में जानकारी इस सूचना के अनुलग्नक 'क' में दिए गए प्रारूप में प्रदान की जा सकती है।

11. पेपर-I, पेपर-II और पेपर-III का पाठ्यक्रम अनुलग्नक "ख" में संलग्न है।

12. परीक्षा सूचना सीबीआईसी और नासिन, जेडटीआई दिल्ली (फरीदाबाद परिसर) की वेबसाइट यानी https://www.cbic.gov.in/ और https://www.nacin.gov.in/ पर भी अपलोड किया जा रहा है।

13. यदि यह पाया जाता है कि परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया था या प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी या किसी के साथ कोई पक्षपात या अन्याय हुआ था, तो नासिन पलासमुद्रम के निर्देश पर नासिन, जेडटीआई दिल्ली, फरीदाबाद, संपूर्ण परीक्षा या किसी अभ्यर्थी या किसी केंद्र या केंद्रों के समूह की परीक्षा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

14. "परीक्षा हेतु निर्देश" संलग्न हैं, जो इस परीक्षा सूचना का अभिन्न अंग हैं।

15. यह अपर महानिदेशक, नासिन, जेडटीआई दिल्ली, फरीदाबाद के अनुमोदन से जारी किया गया है।

संलग्न: यथोपरि

05/05/2025

(डॉ. बिजेन्द्र कुमार मीना)
अपर निदेशक
नासिन जेडटीआई, दिल्ली, फरीदाबाद

प्रतिलिपि:

1. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क
2. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक)
3. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं जीएसटी,
4. सभी प्रधान महानिदेशक/ महानिदेशक/ प्रधान अपर महानिदेशक / अपर महानिदेशक नासिन जेडटीआई / आरटीआई
5. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमा शुल्क
6. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं जीएसटी
7. सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक/प्रधान अपर महानिदेशक/अपर महानिदेशक / सीबीआईसी के तहत निदेशक
8. मुख्य विभागीय प्रतिनिधि, सीईएसटीएटी, नई दिल्ली।
9. सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (सभी) - लेखापरीक्षा सहित
10. आयुक्त, सीमा शुल्क (सभी)
11. मुख्य रसायनज्ञ, सीआरसीएल, नई दिल्ली
12. नासिन और सीबीआईसी की वेबसाइटों पर अपलोड करने के लिए वेबमास्टर

# परीक्षा के लिए निर्देश

## वर्ष 2025-26 के लिए सीमा शुल्क और केंद्रीय कर विभाग में निम्न श्रेणी लिपिक (एलडीसी) / हेड हवलदार से कर सहायक स्तर-4 (रु. 25,500-81,100) के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा

**1.** परीक्षा में तालिकानुसार निम्नवत् तीन (3) पेपर होंगे: -

| क्र.सं. | पेपर | विषय | अधिकतम अंक | उत्तीर्ण अंक | पेपर की तिथि एवं समय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पेपर-I | कंप्यूटर प्रवीणता पर सैद्धांतिक परीक्षण | 50 | 25 | 23.05.2025 (पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 12:00 तक) अनुमत समय: (1 घंटा) |
| 2. | पेपर-II | कंप्यूटर प्रवीणता पर व्यावहारिक परीक्षण | 50 | 25 | 23.05.2025 (अपराह्न 14:00 बजे से अपराह्न 14:30 तक) अनुमत समय: (30 मिनट) |
| 3. | पेपर-III | कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की गति से या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण जांच | अर्हक | अर्हक | पेपर III अर्थात् टंकण गति बारे में संबंधित सीसीए द्वारा सूचित किया जायेगा। |

**2.** आवश्यकता जानकारी देते समय, पद का नाम और अभ्यर्थी का रोल नंबर जिसके लिए परीक्षा आयोजित की जानी है, स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। रोल नंबर अभ्यर्थी को आयुक्तालयों/सीमा शुल्क सदनों में उनके संबंधित संवर्ग नियंत्रण कार्यालय द्वारा आवंटित किए जाने हैं और निदेशालय नामांकन के समय ही अपने स्तर पर रोल नंबर आवंटित किया जायेगा। रोल नंबर आवंटित करने की रूपरेखा निम्नवत दर्शाया गयी है:

उदाहरण:

| क्र.सं. | जीएसटी/सीमा शुल्क/निदेशालय | जीएसटी/सीमा शुल्क/निदेशालय के नाम | रोल नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | जीएसटी | अहमदाबाद दक्षिण | टीए/जीएसटी/अहमदाबाद दक्षिण/01 |
| 2 | सीएच | कांडला | टीएस/सीएच/कांडला/01 |
| 3 | डी | जीएचआरडी | टीए/डी/डीजीएचआरडी/01 |

**3.** जिन आयुक्तालयों/निदेशालयों में परीक्षा आयोजित की जानी है, वहां के प्रधान अपर महानिदेशक/अपर महानिदेशक किसी एक अधिकारी को नामित करेंगे, जो परीक्षा के संचालन के लिए समग्र प्रभारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होंगे और वह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से परीक्षा आयोजित करने तथा उसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे/होंगी। प्राधिकृत अधिकारी को परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक पर्यवेक्षक/निरीक्षक

को नामित करना होगा तथा प्रश्नपत्रों की अपेक्षित संख्या की फोटोकॉपी गुप्त रूप से उनकी व्यक्तिगत देख-रेख में की जाएगी।

4. प्रतिनियुक्ति/ऋण आधार पर कार्यरत अभ्यर्थी जो परीक्षा में बैठने के लिए पात्र और इच्छुक हैं, उन्हें उनके मूल आयुक्तालय से नामांकित किया जाएगा। संवर्ग नियंत्रण प्रधान आयुक्त/आयुक्त से अनुरोध किया जा सकता है कि वे अन्य निदेशालयों/संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत पात्र अधिकारियों को सूचित करें तथा नामांकन अग्रेषित करते समय उनकी आवश्यकताओं को भी शामिल करें। यदि अभ्यर्थी ने अपनी वर्तमान तैनाती स्थल पर परीक्षा देने का प्रतिनिधित्व किया है तो ऐसे नामांकन कैडर नियंत्रण प्राधिकरण से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" के साथ भेजे जा सकते हैं।

5. परीक्षा कार्य में पर्यवेक्षक/निरीक्षक को अभ्यर्थियों को अनुक्रमांक आवंटित करना, परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए बैठने की व्यवस्था करना, उत्तर पुस्तिकाओं जैसी मानक स्टेशनरी की आपूर्ति करना तथा आवश्यकतानुसार प्राधिकृत अधिकारी की देखरेख में सख्त गोपनीयता के साथ प्रश्नपत्रों की फोटोकॉपी कराना आवश्यक है। परीक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षक अधिकारियों/निरीक्षकों को अनुचित साधनों के प्रयोग के मामले में किसी अभ्यर्थी या उनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत सम्पूर्ण परीक्षा केन्द्र की परीक्षा रद्द करने का अधिकार भी है।

6. उत्तर पुस्तिकाओं के प्रथम पृष्ठ पर निम्नलिखित विवरण मुद्रित रूप में अथवा रबर स्टाम्प लगाकर अंकित किए जाएंगे: -
   1) परीक्षा का नाम
   2) रोल नं.
   3) केंद्र का नाम
   4) परीक्षा की तिथि एवं समय
   5) पेपर एवं विषय का नाम
   6) उपयोग की गई अबद्ध उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या (पर्यवेक्षक/निरीक्षक अबद्ध उत्तर पुस्तिकाओं पर हस्ताक्षर करेंगे तथा पृष्ठ संख्या भी अंकित करेंगे)
   7) पर्यवेक्षक/निरीक्षक के हस्ताक्षर (यह सत्यापित होने पर कि अभ्यर्थियों द्वारा सभी विवरण सही ढंग से भरे गए हैं)
   8) प्राप्तांक और
   9) पर्यवेक्षक/निरीक्षक के हस्ताक्षर।

7. उम्मीदवारों को मुद्रित रूप में या उत्तर पत्रक के सामने वाले भाग पर रबर स्टाम्प लगाकर यह भी सूचित किया जाएगा कि उनके नाम/पहचान को प्रकट करने का कोई भी प्रयास और किसी भी स्रोत से नकल करने या परीक्षा के दौरान अंदर या बाहर किसी से बात करने जैसे अनुचित साधनों का उपयोग या उम्मीदवारों का कोई भी ऐसा व्यवहार जिसे निरीक्षक/पर्यवेक्षक/नासिन द्वारा धोखाधड़ी माना जाए, उनकी परीक्षा को अमान्य कर दिया जायेगा।

**यदि कोई अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिकाओं में अपना नाम लिखता है अथवा कोई चिन्ह/प्रतीक/हस्ताक्षर आदि का प्रयोग करता है, जिससे किसी भी प्रकार से उसकी पहचान का पता चलता हो तो उसकी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी।**

8. निरीक्षक और पर्यवेक्षक परीक्षा आयोजित करते समय गोपनीयता, निष्पक्षता और अनुशासन बनाए रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई अनुचित साधन इस्तेमाल न किया जाए, जिससे कुछ लोगों को अतिरिक्त लाभ मिल सके और इस प्रकार दूसरों के लिए प्रतिकूल हो। पूरी प्रक्रिया को इस तरह से डिजाइन और संचालित किया जाएगा कि सभी के साथ न्याय हो। नासिन, पालसमुद्रम के निर्देश पर नासिन जेडटीआई, दिल्ली पूरी परीक्षा या किसी उम्मीदवार या किसी केंद्र या केंद्रों के समूह की परीक्षा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, अगर किसी अनुचित साधन का उपयोग उसके संज्ञान में

लाया जाता है। यदि आवश्यक हो तो, यह पर्यवेक्षकों/निरीक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी की जा सकती है।

9. **पर्यवेक्षक/निरीक्षक उम्मीदवारों द्वारा भरे गए सभी विवरणों के सत्यापन के बाद उत्तर पुस्तिका के पहले पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेंगे (जैसा कि अनुलग्नक-ग में विस्तृत है)। पर्यवेक्षक/निरीक्षक प्रत्येक अबद्ध शीट पर भी हस्ताक्षर करेंगे और उम्मीदवारों द्वारा उपयोग की गई प्रत्येक अबद्ध शीट को पृष्ठ संख्या प्रदान करेंगे।**

10. उम्मीदवारों की पात्रता सीसीए द्वारा सुनिश्चित की जाएगी और परीक्षा के संचालन के अलावा किसी भी स्पष्टीकरण पर नासिन जेडटीआई दिल्ली (फरीदाबाद परिसर) द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। परीक्षा की प्रक्रिया/आयोजन पर कोई भी पत्राचार श्री बिजय कुमार सिन्हा, सहायक निदेशक (परीक्षा) (मोबाइल 9711461121) या श्री कन्हैया प्रसाद, अपर सहायक निदेशक (परीक्षा) (मोबाइल-7827721377), नासिन जेडटीआई दिल्ली, सेक्टर-29, फरीदाबाद-121008 या ईमेल आईडी: exam-nacinztidelhi@gov.in पर किया जा सकता है।

11. परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा हॉल में या उसके आस-पास मोबाइल फोन या ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग या ले जाना सख्त वर्जित है।

12. अभ्यर्थियों को किसी भी परिस्थिति में पेपर पूरा होने/जमा करने के बाद भी पहले तीस मिनट में हॉल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है तथा परीक्षा अवधि के दौरान पहले 30 मिनट पूरे होने के बाद उचित कारण होने पर एक समय में केवल एक व्यक्ति को ही परीक्षा हॉल से बाहर जाने की अनुमति होगी।

13. प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होंगे। अभ्यर्थियों के पास उत्तर हिंदी या अंग्रेजी में लिखने का विकल्प होगा।

14. पेपर-I (कंप्यूटर प्रवीणता पर सैद्धांतिक परीक्षण) की उत्तर पुस्तिकाएं, उचित रूप से टैग/बंच करके, परीक्षा के तुरंत बाद नासिन जेडटीआई दिल्ली, फरीदाबाद को भेजी जाएंगी। इसका मूल्यांकन नासिन जेडटीआई दिल्ली, फरीदाबाद द्वारा किया जाएगा।

15. पेपर-II (कंप्यूटर प्रवीणता पर प्रायोगिक जांच) की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन निदेशालय/आयुक्तालय द्वारा स्वयं किया जाएगा तथा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के साथ अंक नासिन जेडटीआई दिल्ली, फरीदाबाद को भेजे जाएंगे।

16. **पेपर-III (टंकण जांच)**: टंकण जांच (पेपर-III), जो कि अर्हक प्रकृति का है, **संबंधित सीसीए/निदेशालयों द्वारा आयोजित और मूल्यांकन किया जाएगा।** अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति प्राप्त करनी होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी की टंकण जांच की स्थिति - योग्य या अयोग्य - मूल्यांकित टाइप शीट के साथ, संबंधित निदेशालयों/आयुक्तालयों द्वारा नासिन जेडटीआई दिल्ली, फरीदाबाद को भेजी जानी चाहिए।

17. उत्तर पुस्तिकाएं और उपस्थिति पत्रक, आवंटित अनुक्रमांक के अनुसार क्रमवार व्यवस्थित करके, सीलबंद लिफाफे में भेजे जाएंगे।

18. नासिन जेडटीआई दिल्ली, फरीदाबाद अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को केवल सीसीए को, केवल अनुलग्नक-क में दिए गए ईमेल पर ही सूचित करेगा। भर्ती नियमों और मंत्रालय/बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों (यदि कोई हो) के अनुरूप परिणाम, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को छूट प्रदान की जाती है, जैसा भी लागू हो,

सीसीए या सीसीए द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किसी अन्य कार्यालय द्वारा घोषित किया जाएगा तथा रिकॉर्ड के लिए इस कार्यालय को सूचित किया जायेगा।

**19.** यह अपर महानिदेशक, नासिन, जेडटीआई दिल्ली, फरीदाबाद के अनुमोदन से जारी किया गया है।

05/05/2025

(डॉ. बिजेन्द्र कुमार मीना)
अपर निदेशक
नासिन जेडटीआई, दिल्ली, फरीदाबाद

## नामांकन के लिए प्रारूप - अनुलग्नक क

1. आयुक्तालय/निदेशालय का नाम: ______________________

2. संवर्ग नियंत्रण जोन का नाम: ______________________

3. परीक्षा केंद्र का नाम: ______________________

4. कार्यालय की आधिकारिक मेल आईडी: ______________________ (विभागीय परीक्षाओं से संबंधित कोई भी पत्राचार उल्लिखित मेल आईडी से जाना चाहिए)

5. नामित प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं आधिकारिक पता जो परीक्षा के संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे, जिसको पीडीएफ प्रारूप में प्रश्न पत्र व्यक्तिगत gov.in मेल आईडी के माध्यम से भेजे जायेंगे:

______________________

______________________

______________________

______________________

दूरभाषा सं.: ______________ फैक्स सं..: ______________ सरकारी Gov.in मेल आईडी: ______________ व्हॉट्सअप मोबाइल सं.: ______________

6. केंद्र पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का विवरण:

| वर्ष 2025-26 के लिए सीबीआईसी और सीबीआईसी के तहत निदेशालयों में कर सहायकों के ग्रेड में पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | अभ्यर्थी का नाम | पदनाम | निर्दिष्ट रोल नं. | पेपर जिसमें भाग ले रहे हैं |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

अनुलग्नक 'ख'

<u>कर सहायक के ग्रेड में पदोन्नति के लिए कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम सामग्री</u>

| **कर सहायक के ग्रेड में पदोन्नति के लिए कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम सामग्री** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **पेपर** | **टेस्ट का प्रकार** | **अनुमत समय** | **अधिकतम अंक** | **पाठ्यक्रम सामग्री** |
| **पेपर-I** | कंप्यूटर प्रवीणता पर सैद्धांतिक परीक्षण | 1 घंटा | 50 | 1. हार्डवेयर का अवलोकन (ओवरव्यू) |
| | | | | 2. विंडोज़ |
| | | | | क)- विंडोज़ में लॉग इन करना |
| | | | | ख)- शट डाउन करना और CTRL-ALT-DEL का उपयोग करना |
| | | | | ग)- विंडोज़ एक्सप्लोरर |
| | | | | घ)- FIND और SEARCH का उपयोग |
| | | | | ड.)- फ्लॉपी डिस्क और सीडी रोम / पेन ड्राइव का उपयोग करना |
| **पेपर-II** | कंप्यूटर प्रवीणता पर व्यावहारिक जांच | 30 मिनट | 50 | 3. एमएस ऑफिस (एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल) |
| | | | | क. एमएस वर्ड |
| | | | | क) नए दस्तावेज़ का सृजन करना |
| | | | | ख) बुलेट और नंबरिंग तथा हेडर और फूटर सहित बेसिक फॉरमेटिंग |
| | | | | ग) FIND और REPLACE |
| | | | | ड.) स्वतः सुधार और वर्तनी जाँच |
| | | | | च) दस्तावेज़ों को सेव करना |
| | | | | छ) फ्लॉपी/पेन ड्राइव के माध्यम से दस्तावेज़ भेजना |
| | | | | ज) प्रिंट पूर्वावलोकन (प्रिव्यू) सहित दस्तावेजों को प्रिंट करना और |
| | | | | झ) टेबल (तालिका) हैंडलिंग |
| | | | | **ख. एमएस एक्सेल सहित** |
| | | | | क) एक्सेल का परिचय |
| | | | | ख) एक सरल वर्कशीट का सृजन करना |
| | | | | ग) मूल स्वरूपण (फॉरमेटिंग) |
| | | | | घ) सरल कार्य और गणना |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ड.) दस्तावेजों को सेव/प्रिंट करना |
| | | | | च) प्रिंट पूर्वावलोकन (प्रिव्यू) |
| | | | | **4. ई-मेल के लिए इंटरनेट और इंटरनेट के उपयोग में प्रवीणता** |
| पेपर-III (टंकण जांच) | कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की गति या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट गति की टंकण जांच | अर्हक | अर्हक | टंकण जांच का निर्धारण संबंधित सीसीए/निदेशालयों द्वारा किया जाएगा। |

# अनुलग्नक 'ग'

## (प्रत्येक उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ का प्रोफार्मा)

| परीक्षा केंद्र का पूरा पता | | |
|---|---|---|
| 1. | परीक्षा का नाम | |
| 2. | अभ्यर्थी का रोल नं. | |
| 3. | परीक्षा केंद्र का नाम | |
| 4. | परीक्षा की तिथि एवं समय | |
| 5. | पेपर का नाम एवं विषय | |
| 6. | उपयोग की गई अबद्ध उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या<br>(पर्यवेक्षक/निरीक्षक प्रत्येक अबद्ध शीट पर हस्ताक्षर करेंगे और पृष्ठ संख्या भी निर्दिष्ट करेंगे) | |
| 7. | पर्यवेक्षक/निरीक्षक के हस्ताक्षर<br>(अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए सभी विवरणों के सत्यापन पर) | |
| 8. | प्राप्त अंक/अधिकतम अंक | |
| 9. | परीक्षक के हस्ताक्षर | |

**टिप्पणी: यदि अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिकाओं में अपना नाम लिखते हैं या कोई चिन्ह/प्रतीक हस्ताक्षर आदि का प्रयोग करते हैं, जिससे किसी भी तरह से अभ्यर्थी की पहचान का पता चलता हो, तो परीक्षा रद्द कर दी जाएगी।**